206/C

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2015/भाद्र 25, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 102

No. 120] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937 [N.C.T.D. No. 102

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015

सं. फा. 1(2)(3)/एकाउंट्स/रैवेन्यु/2015–16/217.—दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1962 (1962 का 57) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के द्वितीय परन्तुक तथा उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना सं. फा. 19(52)/परि./सचि./ 2010/180 दिनांक 29 सितम्बर, 2011 की निरंतरता में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, व्यक्तिगत नाम से पंजीकृत मोटर वाहनों के अलावा कंपनियों तथा फर्मों के नाम से पंजीकृत निजी मोटर वाहनों के लिए अनुसूची–1 के कालम (1) के भाग ख में वर्णित मोटर वाहनों पर वसूलनीय कर की दरों में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी करते हैं जो वर्तमान दरों या राशि, जैसी भी स्थिति हो, का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि होगा।

यह भी आगे प्रदान किया जाता है कि डीजल ईंधन से चलित कंपनियों तथा फर्मों के नाम से पंजीकृत निजी मोटर वाहनों के मामले में यह उपरोक्त राशि 29 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. फा. 19(52)/परि./सचि./ 2010/180 के अनुसार वसूलनीय कर की राशि के ऊपर अतिरिक्त परिकलित होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के

उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप सिंह गंगर, विशेष सचिव (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th September, 2015

No. F.1(2)(3)/Acctts/Rev./2015-16/217.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962 (57 of 1962) and in continuation of notification No. F.19(52)/Tpt./Sectt./2010/180 dated 29th September, 2011, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby increase, with immediate effect, the rates of tax to be levied upon a motor vehicle described in column (1) of Part B of Schedule-I by an additional amount of twenty-five per cent of the existing rates or the amount, as the case may be, for the private motor vehicles registered in the name of companies and firms except the motor vehicles registered in the name of an individual.

It is further provided that in case of private motor vehicles registered in the name of companies and firms and propelled by the diesel fuel, the above amount shall be calculated over and above the amount of tax levied vide notification No. F.19(52)/Tpt./Sectt./2010/180 dated 29th September, 2011.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Spl. Secy. (Transport)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.